>

Title: Regarding country wide strike by lawyers in protest of the amendments in Cr PC.

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 2008 एक्ट 5 में धारा 41 और 309 में संशोधन हुआ है। पूरे देश में अधिवक्ताओं ने इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया है और इस कारण 3 फरवरी को हड़ताल की गई। आज देश के अधिकांश अधिवक्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। धारा 309 में जो संशोधन हुआ है, उसके मुताबिक कोर्ट में कोई मुवक्किल दरख्वास्त देता है कि उसके वकील कोर्ट में व्यस्त हैं तो उसे स्थगन नहीं मिल सकता, चाहे भले ही वकील का कोई व्यक्तिगत कारण रहा हो। यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि वकील की अनुपस्थिति में मुवक्किल का कोई भी बयान दर्ज किया जा सकता है। धारा 41 में पहले यह होता था कि एफआईआर पंजीकृत होती थी तो बगैर किसी वारंट के अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि एफआईआर पंजीकृत होने के बाद अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इससे अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का हौसला बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। जिन अपराधों में सात साल की सजा का प्रावधान है, उन्हें छूट रहेगी। यह न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। ये संशोधन समाज के हित में नहीं है, न्याय प्रक्रिया के हित में नहीं हैं। पूरे देश के वकील हड़ताल पर हैं और आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। सरकार को अधिवक्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आज तीस हजारी कोऑर्डिनेशन कमेटी, बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली और देश के तमाम संगठनों ने मिलकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। मेरा आग्रह है कि सरकार इसका संज्ञान ले और अधिवक्ताओं के संगठनों से बातचीत करे, वकीलों के आक्रोश को समझे और तत्काल हस्तक्षेप करके समस्या का हल निकाले।

16.44 hrs. (Dr. Laxaminarayan Pandey *in the Chair*)